

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरिफ़ हुसैन 2. वर्तमान धारित पर शेयर
3. वर्तमान वेतन 66,500/- Allow. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.01.2020

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		(3) भूमि	(4) **वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
① औषाण साईनाय कॉलोनी कोलार रोड	22E	25x40 = 1000 sqft		373000 25-30 लाख	स्वयं	जुन 1989 में खरीद एन एचपीए की मदद से 2005 में एन एचपीए Home Finance द्वारा EPP की मदद से किया गया	-	-
② औषाण पुराना किराना, कोलार रोड	22E	500 sqft.		10-15 लाख अंश	पैदा	LIC द्वारा P.LI maturity Share द्वारा व्यय	-	-
③ औषाण बाड़ी रोड, कोलार	22E	40x25 725 sqft.		8-10 लाख अंश	पैदा		-	-

हस्ताक्षर Arif Hussain
 नाम अरिफ़ हुसैन
 पद अधीनस्थ
 विभाग F.Y. 3rd Division

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविकी तथा उनके द्वारा अर्जित भव्यता द्वारा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे में रखे गए हैं।

शकेसुभो-2 अससप्राप्ति-14-2-2001-5,000.
 21/05/2020
 9/11/2020